



डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

Government of Uttar Pradesh

Office : Mohaan Road, Lucknow - 226 017, Phone (Off.) : 8004930056, Website :http://dsmru.up.nic.in

पत्रांक संख्या- 67 / डी०एस०एम०एन०आर०यू० / 2017-18 लखनऊ: दिनांक:- 03 नवम्बर, 2017

// आवश्यक सूचना //

समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

विषय- अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2017-18 से पाठ्यक्रमों में न्यूनतम 75 प्रतिशत की अनिवार्य उपस्थिति वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 101/2017/आर-1614 /26-03-2017-4(358)/07टीसी-3 दिनांक 23-06-2017 द्वारा प्रख्यापित उ०प्र० अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली- 2012 (यथा संशोधन- 2016) के नियम-6 उप नियम (xviii) में व्यवस्था की गयी है कि शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे उपर उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। यही व्यवस्था सामान्य वर्ग के छात्रों पर भी लागू है।

अतः उक्त क्रम में आपसे अनुरोध है कि अपने संकाय/विभाग से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को इसके सम्बन्ध में सूचना प्रदान करें। साथ ही स्वयं अवगत होकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति के फार्म को अग्रसारित करने एवं उपरोक्त का अनुपालन कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

(प्रो० विनोद कुमार सिंह)
अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफिसर, कुलपति, विश्वविद्यालय को कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. सदस्य, अधिष्ठाता मण्डल।

V.K. Singh
(प्रो० विनोद कुमार सिंह)
अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण

S.A. वैवसाय 24
अपलोड करें।
V.K. Singh
06/11/2017